

कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की दिनांक : 16.11.2021 को सम्पन्न 15वीं बोर्ड बैठक

दिनांक : 16.11.2021 को मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में राज्य प्राधिकरण की 15वीं बोर्ड बैठक विधानसभा कक्ष संख्या-120 में सम्पन्न हुई।

अधिकारियों की उपस्थिति निम्नानुसार रही:-

1. श्री शैलेश बगौली, सचिव, आवास/शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक, उडा (उपाध्यक्ष)
2. श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डे, सचिव (प्रभारी), आवास विभाग/अपर मुख्य प्रशासक, उडा (पदेन सदस्य)
3. श्री योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
4. श्री उमेश नारायण पाण्डेय, अपर सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
5. श्रीमती नेहा वर्मा, अपर सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
6. श्रीमती दीप्ती मिश्रा, उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन (नामित सदस्य)
7. श्री एस0एम0 श्रीवास्तव, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (पदेन सदस्य)
8. श्री आनन्द सिंह, वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (पदेन सदस्य)

बैठक के संचालन एवं सहयोग हेतु उपस्थित अधिकारीगण-

1. श्री प्रकाश चन्द्र दुम्का, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. श्री आनन्द राम, अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
3. श्री विनोद चौहान, सहायक अभियन्ता, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
4. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।

सर्वप्रथम एजेण्डा बिन्दु-15.01 एवं 15.02 पर प्रस्तुत 14वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और उसकी पुष्टि की गयी। तदोपरान्त 15वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा बिन्दुओं पर विचार-विमर्श किया गया:-

एजेण्डा बिन्दु-15.03

प्रस्ताव

श्री मुकेश कुमार चौधरी पुत्र श्री कर्ण सिंह ग्राम मुकन्दर, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर की भूमि खसरा संख्या-27, क्षेत्रफल 0.428, 29/2, क्षेत्रफल 0.073977, 30/1, क्षेत्रफल-0.773, 30/2, क्षेत्रफल 0.372, 30/3, क्षेत्रफल 0.424, 30/4, क्षेत्रफल 0.526, 30/5, क्षेत्रफल 0.527, 30/6, क्षेत्रफल 0.072, 30/7, क्षेत्रफल 0.154, 30/8, क्षेत्रफल 0.102, कुल रकबा 3.451977 हेक्टेयर, ग्राम व मौजा जियापोता तहसील व जिला हरिद्वार का महायोजना-2025 में निहित कृषि भू-उपयोग को आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

विवरण

1. श्री मुकेश कुमार चौधरी द्वारा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए भूमि खसरा संख्या-27, क्षेत्रफल 0.428, 29/2, क्षेत्रफल 0.073977, 30/1, क्षेत्रफल-0.773, 30/2, क्षेत्रफल 0.372, 30/3, क्षेत्रफल 0.424, 30/4, क्षेत्रफल 0.526, 30/5, क्षेत्रफल 0.527, 30/6, क्षेत्रफल 0.072, 30/7, क्षेत्रफल 0.154, 30/8, क्षेत्रफल 0.102, कुल रकबा 3.451977 हेक्टेयर, ग्राम व मौजा जियापोता तहसील व जिला हरिद्वार को कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन करने का अनुरोध किया गया है।

2. परीक्षणोपरान्त वरिष्ठ नियोजक/मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक द्वारा अपने पत्र संख्या-1438, दिनांक : 15.10.2020 के द्वारा अवगत कराया गया है कि,

- हरिद्वार महायोजना-2025 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू-उपयोग कृषि है तथा इस स्थल के आस-पास बड़ी संख्या में अनियोजित विकास हो रहा है। स्थल पर विगत 08 वर्षों से कृषि कार्य नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में किया जा

रहा है।

- प्रश्नगत स्थल से 500 मी० आगे हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा कतिपय आवासीय कॉलोनियों को स्वीकृति प्रदान की गयी है।
 - अतः प्रश्नगत स्थल के आस-पास की स्थिति एवं हरिद्वार महायोजना-2025 में नगरीय प्रसार के निकट स्थिति के दृष्टिगत प्रश्नगत भू-खण्ड का भू-उपयोग महायोजना-2025 में कृषि से आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तन किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव संलग्न कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की आख्या उक्त पत्र में दी गयी।
3. उक्त आख्या के आधार पर प्रकरण प्राधिकरण द्वारा परिचालन के माध्यम से बोर्ड के समक्ष मद संख्या-71(2) प्रस्तुत किया गया, जिसे बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।
 4. प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या-1473, दिनांक : 23.06.2021 द्वारा तहसीलदार, हरिद्वार को जनहित याचिका संख्या-119/2013 में पारित आदेश दिनांक : 19.06.2018 के प्रस्तर 14(v) के क्रम में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। तत्क्रम में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी आख्या प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत आख्या में अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित स्थल का उपयोग वर्तमान में बंजर व अकृषक (खाली) भूमि है, जिसका उपयोग खेती के रूप में नहीं किया जा रहा है।
 5. राज्य प्राधिकरण द्वारा पत्रांक-328/उडा-213/2017, दिनांक : 28.07.2021 के माध्यम से हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण से प्रश्नगत प्रस्ताव का मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या-119/2013 में पारित आदेश दिनांक : 19.06.2018 तथा मा० उच्चतम न्यायालय में पारित आदेश के आलोक में परीक्षण करने एवं शासनादेश संख्या-468/v-2/2019-13(एल०यू०सी०) 2019, दिनांक : 12.07.2019 में निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।
 6. अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण ने अपने पत्रांक-1989/प्रशा०2 (क)-22/79/2021-22, दिनांक : 04.08.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:-

| वांछित भू-उपयोग परिवर्तन हेतु भूमि का विवरण वर्तमान में निर्धारित भू-उपयोग आदि | वांछित भू-उपयोग परिवर्तन | सुसंगत शासनादेश इस हेतु निर्धारित मानक/शुल्क | मुख्य नगर नियोजक का स्पष्ट अभिमत/संस्तुति | प्राधिकरण अभिमत | भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्राधिकरण एवं मुख्य नगर नियोजक के अभिमत सहित बोर्ड का अभिमत |
|--|--------------------------|---|--|---|---|
| कृषि | आवासीय | 3.451977 हे० @ 40,00,000.00 प्रति हे० X 0.50 X 0.80 = ₹० 55,23,164.00 | कार्यालय मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा अपने पत्रांक-1438/नग्रानि/भू-उपयोग परि०/2020, दिनांक : 15.10.2020 के माध्यम से प्रश्नगत भू-खण्ड का भू-उपयोग हरिद्वार महायोजना-2025 में आरक्षित कृषि से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु संस्तुति सहित प्रस्ताव संलग्न कर बोर्ड के विचारार्थ प्रेषित है। | प्रश्नगत स्थल का निरीक्षण राजस्व निरीक्षक एवं हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। स्थल के आस-पास उक्त प्रस्ताव से भविष्य में कोई प्रतिकूल प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। अतः कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग किये जाने की संस्तुति की जाती है। | मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के भू-उपयोग परिवर्तन पर संस्तुति सहित प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की 71वीं बोर्ड के कार्यवृत्त मद संख्या-71 (2) में उक्त प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। |

7. अधीक्षण अभियन्ता, हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका-119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 19.06.2018 के प्रस्तर संख्या-14(v) के अनुसार मा0 न्यायालय द्वारा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कृषि भूमि/बाग बगीचे की भूमि का भू-उपयोग ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स एवं सोसायटी आदि के लिए प्रतिबन्धित किया गया है। अभिलेखों में दर्ज कृषि भूमि तथा बाग बगीचे की भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन में रोक लगायी गई है, जबकि उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि पर तहसीलदार हरिद्वार की आख्या अनुसार विगत 08 वर्षों से वर्तमान समय तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु भूमि अकृषिक प्रयोजन में है।
8. प्रश्नगत प्रस्ताव में भूमि का क्षेत्रफल 3.451977 हे0 अर्थात् 34519.77 वर्ग मीटर है। शासनादेश संख्या-1311/v-2/21-10(आ0)/2020, दिनांक : 26.07.2021 के प्रस्तर 1.1 के अनुसार 10001 से 50000 वर्ग मीटर तक के भू-क्षेत्रफल का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने का अधिकार उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) में निहित होगा। अतः इसका निस्तारण उडा कार्यालय द्वारा ही किया जाना है।
- ✓ उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा-13(1) एवं धारा-13(2) के अन्तर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग अथवा राज्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त/नामित कोई अन्य अभिकरण एवं राज्य सरकार द्वारा महायोजना या आंचलिक विकास योजना में संशोधन किया जा सकता है।
 - ✓ प्रस्तावित प्रकरण पर हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण बोर्ड तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्थल निरीक्षण उपरान्त कृषि भू-उपयोग से आवासीय भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने हेतु अपनी-अपनी संस्तुति प्रदान की गई है।
 - ✓ मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका-119/2013 अनुज कंसल बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक : 19.06.2018 के प्रस्तर संख्या-14(v) के सम्बन्ध में हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार द्वारा अपने पत्रांक-1989/प्रशा02(क)-22/79/2021 -22, दिनांक : 04.08.2021 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि विगत 08 वर्षों से वर्तमान समय तक कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है, अपितु भूमि अकृषिक प्रयोजन में है।
 - ✓ हरिद्वार-रूड़की विकास प्राधिकरण द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क के रूप में रू0 55,23,164.00 धनराशि आंकलित की गयी है।
 - ✓ उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत आवेदक श्री मुकेश कुमार चौधरी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव खसरा संख्या-27, क्षेत्रफल 0.428 हे0, 29/2, क्षेत्रफल 0.073977 हे0, 30/1, क्षेत्रफल-0.773 हे0, 30/2, क्षेत्रफल 0.372 हे0, 30/3, क्षेत्रफल 0.424 हे0, 30/4, क्षेत्रफल 0.526 हे0, 30/5, क्षेत्रफल 0.527 हे0, 30/6, क्षेत्रफल 0.072 हे0, 30/7, क्षेत्रफल 0.154 हे0, 30/8, क्षेत्रफल 0.102 हे0, कुल रकबा 3.451977 हे0 अर्थात् 34519.77 वर्ग मीटर के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1895/v/आ0-2016-11(LUC)/03-2016, दिनांक : 28 दिसम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या-1311/v-2/21-10 (आ0)/2020, दिनांक : 26 जुलाई, 2021 द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया आदि की व्यवस्था दी गयी है।
 - ✓ उक्त शासनादेशों के अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी तथा स्वीकृति उपरान्त देय शुल्क रू0 55,23,164.00 की धनराशि आवेदक द्वारा जमा किया

जाना होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रस्ताव का भू-उपयोग कृषि से आवासीय में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु-15.04

प्रस्ताव

श्रीमती संध्या गुप्ता पत्नी श्री अरुण कुमार गुप्ता के ईको रिजॉर्ट शमन मानचित्र संख्या-ओ0सी0-0424/19-20 पर मार्ग की शिथिलता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विवरण

- श्रीमती संध्या गुप्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता के ईको रिजॉर्ट शमन मानचित्र संख्या-ओ0सी0-0424/19-20 के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् सूचना प्रेषित की गयी है:-
 - विद्यमान मार्ग की चौड़ाई 5.95 मी0 है।
 - लोक निर्माण विभाग, देहरादून के अनुसार अधिकृत मार्ग की चौड़ाई 9.0 मीटर है।
 - भवन उपविधि के बिन्दु संख्या-4.1 के अनुसार अधिकृत चौड़ाई/महायोजना मार्ग चौड़ाई के अनुसार Activity/उपयोग अनुमन्य किया जा सकता है, परन्तु बिन्दु 5.1 के अनुसार भवन ऊँचाई विद्यमान मार्ग चौड़ाई के अनुसार अनुमन्य होगी।
- मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अपने पत्रांक-78/2021, दिनांक : 08.04.2021 द्वारा प्रश्नगत प्रस्ताव शासनादेश संख्या-467/V-2/24(आ0)/2019, दिनांक : 27 अगस्त, 2019 में निर्धारित प्रारूप पर निम्नानुसार प्रेषित किया गया है:-

| वांछित शिथिलीकरण यथा भू-खण्ड क्षेत्रफल, पहुँच मार्ग, भू-आच्छादन, एफ0ए0आर0 पार्किंग आदि | उपविधि में निर्धारित मानक | उपविधि में निर्धारित मानक के सापेक्ष शिथिलता | मुख्य नगर नियोजक का स्पष्ट अभिमत/संस्तुति | प्राधिकरण अभिमत | शिथिलता एवं मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के अभिमत सहित बोर्ड के अभिमत सम्बन्ध में। |
|--|-----------------------------|--|---|--|--|
| पहुँच मार्ग में शिथिलीकरण | 13.50 मीटर (फुटहिल लेन में) | PWD द्वारा 9.00 मी0 पहुँच मार्ग की चौड़ाई है। अतः 4.50 मीटर की शिथिलता की आवश्यकता है। | मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के पत्रांक-731, दिनांक : 01.04.2020 द्वारा आख्या प्राप्त हुई है। | PWD के अभिलेख के अनुसार मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर है। 4.50 मीटर की शिथिलता के लिये प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया है। | प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया गया है। |

- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पत्रांक-731/नग्रानि/म0दे0वि0प्रा0/2021, दिनांक : 01 अप्रैल, 2021 से आख्या प्रेषित की गयी है, जिसमें निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-
 - आवेदक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण ईको रिजोर्ट्स के शमन मानचित्र प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया तथा प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
 - प्रश्नगत स्थल प्रथम मौजा-जमनीवाला, परगना-पछवादून, जिला देहरादून प्राधिकरण के पत्र संख्या-1829, दिनांक : 11.01.2021 में वर्णित अनुसार फुटहिल अन्तर्गत स्थित है।
 - प्राधिकरण की 100वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा मद 24 अनुसार तथा प्रश्नगत स्थल के पहुँच मार्ग की विद्यमान चौड़ाई प्राधिकरण के पत्र संख्या-1829, दिनांक : 11.01.2021 में वर्णित अनुसार 5.95 मी0 तथा लोक निर्माण विभाग के अभिलेखानुसार प्रश्नगत स्थल के पहुँच मार्ग की चौड़ाई 9.0 मी0 है।
 - भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के

प्राविधानानुसार ईको रिजोर्ट्स हेतु पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18.0 मी० आवश्यक है। प्रश्नगत स्थल प्राधिकरण अनुसार फुटहिल्स क्षेत्र अन्तर्गत स्थित है। भवन उपविधि के अनुसार फुटहिल्स क्षेत्रों में पहुँच मार्ग में 25 प्रतिशत शिथिलता प्रदान किये जाने का प्राविधान है। अतः प्रश्नगत प्रकरण में 25 प्रतिशत मार्ग शिथिलता के उपरान्त पहुँच मार्ग की चौड़ाई 13.50 मी० होना आवश्यक है।

- प्रश्नगत भू-खण्ड खसरा नं०-26 मि०, 27क मि० मौजा-जमनीवाला, परगना-पछवादून, जिला देहरादून का भू-उपयोग देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में वर्णित अनुसार 18.0 मी० महायोजना मार्ग के पश्चात् आंशिक भाग वन तथा आंशिक भाग कृषि भू-उपयोग अन्तर्गत प्रस्तावित है।
 - प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक : 12.10.2020 के कार्यवृत्त अनुसार आवेदक द्वारा उक्त के सम्बन्ध में वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं समस्त भूमि का भू-उपयोग कृषि मानते हुये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
 - देहरादून महायोजना-2025 के परिक्षेत्रीय विनियमन अनुसार कृषि भू-उपयोग में ईको-रिजोर्ट्स की अनुमति प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त अनुमन्य है।
 - भवन उपविधि में भवन की ऊँचाई का निर्धारण, विद्यमान मार्ग चौड़ाई अथवा अधिकृत मार्ग चौड़ाई के अनुसार किये जाने का प्राविधान है।
4. प्रश्नगत प्रकरण के मानकों के अनुसार सड़क की चौड़ाई 13.50 मीटर के सापेक्ष अधिकृत चौड़ाई 9.00 मीटर होने के दृष्टिगत मानकों की गणना किये जाने के उपरान्त 33 प्रतिशत की शिथिलता दी जानी है, जो कि शासनादेश संख्या-1311, दिनांक : 26.07.2021 के प्रस्तर-02 में दी गयी व्यवस्था 25-50 प्रतिशत के मध्य है, जिसके दृष्टिगत शिथिलीकरण की अधिकारिता उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय की है।

उपरोक्तानुसार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक-731/नग्रानि/म०दे०वि०प्रा०/2021, दिनांक : 01 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रेषित विभागीय आख्या तथा शासनादेश संख्या-1311/V-2/21-10(आ०)/2020, दिनांक : 26 जुलाई, 2021 के प्रस्तर-02 में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन के क्रम में श्रीमती संध्या गुप्ता श्री अरुण कुमार गुप्ता के ईको रिजोर्ट शमन मानचित्र संख्या-ओ०सी०-0424/19-20 पर मार्ग की शिथिलता प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु-15.05

प्रस्ताव

मानचित्र संख्या-सी०-0342/20-21 श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज खसरा नं०-1081 क मि०, ग्राम-मोथरोवाला, तहसील देहरादून में रिटेल आउटलेट निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

विवरण

1. मानचित्र संख्या-सी०-0342/20-21 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्रीमती मधु काम्बोज पत्नी श्री रविन्द्र कुमार काम्बोज का खसरा नं०-1081 क मि०, ग्राम-मोथरोवाला (मोथरोवाला-दूधली रोड़ पर) तहसील देहरादून अन्तर्गत स्थित है।
2. प्रश्नगत स्थल का कुल भू-खण्ड क्षेत्रफल-710.0 वर्गमीटर, 200.0 वर्गमीटर मार्गाधिकार छोड़ने के उपरान्त नेट प्लॉट एरिया-510.0 वर्गमीटर अन्तर्गत रिटेल आउटलेट प्रस्तावित किया गया।
3. प्रस्तावित प्रश्नगत स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान पहुँच मार्ग चौड़ाई 11.86 मी० स्थित है। जबकि देहरादून महायोजना-2025 के अन्तर्गत मार्ग चौड़ाई 30.0 मीटर है तथा प्रश्नगत स्थल के पूर्व दिशा में देहरादून महायोजना-2025 में मार्ग चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित की

गयी है।

4. उक्त स्थल नगर निकाय सीमा अन्तर्गत स्थित है। भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के प्राविधानानुसार नगर निकाय सीमान्तर्गत पेट्रोल पम्प (रिटेल आउटलेट) हेतु पहुँच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.0 मीटर आवश्यक है।
5. आवेदक द्वारा पश्चिम दिशा में विद्यमान 11.50 मीटर चौड़े मार्ग के सापेक्ष 30.0 मीटर देहरादून महायोजना-2025 में प्रस्तावित मार्गाधिकार के अनुसार मार्ग मध्य से 15.0 मीटर मार्गाधिकार हेतु तथा पूर्व दिशा में देहरादून महायोजना-2025 में प्रस्तावित 12.0 मीटर चौड़े मार्ग को नियमानुसार मानचित्र में प्रस्तावित किया गया है।

भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन-2015) के अनुसार मार्गों के क्रासिंग/टी-जंक्शन से पेट्रोल पम्प का प्रवेश/निकास की न्यूनतम दूरी 60.0 मीटर आवश्यक है। जबकि प्रश्नगत रिटेल आउटलेट (फिलिंग स्टेशन) राष्ट्रीय राजमार्ग के लिंक मार्ग पर स्थित है। उक्त लिंक मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग की अपेक्षा यातायात आवागमन अत्यधिक न्यून होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण के पहुँच मार्ग की चौड़ाई में शिथिलता तथा क्रासिंग/टी-जंक्शन से पेट्रोल पम्प के प्रवेश/निकास की न्यूनतम दूरी 60.0 मीटर के सापेक्ष 45.0 मीटर की दूरी होने पर 15.0 मीटर की शिथिलता हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि शासनादेश संख्या-1647/v-2/2021-11(एल0यू0सी0)/2003, टी0सी0, दिनांक : 05 अक्टूबर, 2021 के अनुसार प्रकरण का परीक्षण कर यदि आवश्यक है तो प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

एजेण्डा बिन्दु-15.06

प्रस्ताव

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

विवरण

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रूद्रपुर में प्रस्तावित 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास परियोजना हेतु शासन द्वारा 79869.00 वर्गमीटर नजूल भूमि निःशुल्क उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित की गयी।
2. शासनादेश के क्रम में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के नियमानुसार कॉमर्शियल भू-खण्ड क्षेत्रफल 16126.00 वर्गमीटर फ्री-होल्ड शुल्क की धनराशि रू0 12,90,080.00 जमा करने के पश्चात उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को 79869.00 वर्गमीटर भूमि का कब्जा प्राप्त हुआ।
3. दिनांक : 27.09.2017 को भारत सरकार की 26वीं सी0एस0एम0सी0 की बैठक में रूद्रपुर में 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों के निर्माण की परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गयी।
4. दिनांक : 09.08.2019 को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 12वीं बोर्ड बैठक में ई0डब्ल्यू0एस0 आवासों के परियोजना को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया तथा परियोजना सम्बन्धी समस्त अभिलेख जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को प्रेषित किये गये।
5. जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर द्वारा भूमि का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर के नाम किये जाने का अनुरोध किया गया है, जिसके दृष्टिगत परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि सम्बन्धित कठिनाई को दूर किये जाने हेतु 79869.00 वर्गमीटर भूमि को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को हस्तान्तरित किया जाना है।

6. उक्त भूमि को फ्री-होल्ड कराये जाने में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय की धनराशि रू0 12,90,080.00 का भुगतान राज्य सरकार से उपलब्ध करायी गई धनराशि/सीड कैपिटल के माध्यम से किया गया है।
7. उडा द्वारा उक्त सम्बन्ध में पत्रांक-870, दिनांक : 02.11.2021 के माध्यम से निम्नवत् प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है:-
 - उक्त भूमि उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को हस्तान्तरित किया जाना उचित होगा।
 - उक्त परियोजना के निर्माण कार्य हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण स्तर से वॉफ़ोस लिमिटेड के साथ दिनांक : 04.11.2016 को अनुबन्ध किया गया। अनुबन्ध विस्तार किये जाने के फलस्वरूप दिनांक : 03.11.2021 तक वैध है। यदि भूमि का हस्तान्तरण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को किया जाता है, तो जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर अनुबन्ध किये जाने/अनुबन्ध का विस्तार किये जाने हेतु स्वतंत्र होगा।

अतः प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत रूद्रपुर में प्रस्तावित 1872 ई0डब्ल्यू0एस0 आवास परियोजना हेतु उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के नामें 79869.00 वर्गमीटर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को हस्तान्तरित किये जाने तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर से फ्री-होल्ड कराये जाने में व्यय की गयी धनराशि रू0 12,90,080.00 पर दिशा-निर्देशार्थ मा0 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

सम्यक् विचारोपरान्त उक्त परियोजना हेतु 79869.00 वर्गमीटर भूमि को जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

एजेण्डा बिन्दु-15.07

प्रस्ताव

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के Ease App एवं मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के Online Portal को एकीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विवरण

1. EoDB के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा 12 जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों/स्थानीय विकास प्राधिकरणों हेतु Ease App का निर्माण किया जा रहा है।
2. Ease App के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति, आर0टी0आई0, पब्लिक ग्रीवांस, फाईल प्रबन्धन आदि कार्य Online किये जा रहे हैं, जिससे जनमानस को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हो रही है।
3. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम0डी0डी0ए0) द्वारा भी पृथक से Online Portal का संचालन किया जा रहा है, जो वर्तमान तक Ease App से integrated नहीं है, जिस कारण समस्त 13 विकास प्राधिकरणों की Online सुविधाओं के अनुश्रवण व सूचना आदान-प्रदान में कठिनाई आ रही है।
4. EoDB के अन्तर्गत राज्य में एक एकीकृत पोर्टल के माध्यम से समस्त प्राधिकरणों के ऑनलाईन कार्यों का सम्पादन किया जाना है, जिसके दृष्टिगत उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के Ease App से एम0डी0डी0ए0 के Online Portal को integrate किया जाना है, जिस हेतु एम0डी0डी0ए0 एवं उडा के मध्य दो स्तर पर फर्म व तकनीकी विशेषज्ञों के साथ बैठक आहूत की गयी है।
5. तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त integration में डाटा ट्रान्सफर किये जाने तथा एम0डी0डी0ए0 के पोर्टल की समस्त व्यवस्था को उडा के Ease App से

integrate किये जाने में कुछ समय लगेगा। इसके अतिरिक्त उक्त integration में अतिरिक्त धन भी व्यय होगा।

6. उडा द्वारा Ease App विकसित करने वाली फर्म सी0एस0आई0आई0 प्राईवेट लिमिटेड से उक्त integration किये जाने हेतु वित्तीय प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके आधार पर उडा के Ease App में एम0डी0डी0ए0 के पोर्टल को integrate किये जाने का निर्णय लिया जाना है।

अतः उडा के Ease App में एम0डी0डी0ए0 के पोर्टल को integrate किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय

प्रस्ताव हेतु सैद्धान्तिक सहमति दी जाती है। वित्तीय प्रस्ताव का परीक्षण कर वित्तीय रूप से व्यवहार्य होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

एजेण्डा बिन्दु-15.08

प्रस्ताव
विवरण

महायोजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

- वर्तमान में राज्य के 19 स्थानों में महायोजना प्रभावी है।
- नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा भारत सरकार की अमृत योजना के अन्तर्गत 07 शहरों (देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर, नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर) की महायोजना में Satellite Data Acquisition, Data Processing, Ground Truth/Field Verification, Collection of Socio Economic Data की कार्यवाही गतिमान है। महायोजना का समस्त कार्य मार्च, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।
- विभाग द्वारा राज्य के 63 नगर निकायों की महायोजना हेतु निविदा आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। निविदाओं को माह नवम्बर, 2021 के अन्तिम सप्ताह में खोला जाना निर्धारित किया गया है तथा दिनांक : 31 दिसम्बर, 2021 तक संस्थाओं को कार्यदेश निर्गत किया जाना लक्षित किया गया है।

निर्णय

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा भारत सरकार के नियोजन विभाग से समन्वयन स्थापित करते हुए महायोजना कार्यशाला का आयोजन किया जाय तथा प्रस्तावित महायोजनाओं में Latest Trends का अध्ययन कर महायोजनाएं विकसित की जाय। महायोजनाओं हेतु प्रकाशित आर0एफ0पी0 में भी तदनुसार समावेश किया जाये।

एजेण्डा बिन्दु-15.09

प्रस्ताव

प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति के सम्बन्ध में।

विवरण

| क्र0सं0 | योजनाओं/कार्यक्रमों के नाम | जिला | संख्या | वर्तमान स्थिति |
|---------|---|----------|--------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय परियोजना (पी0एम0ए0वाई) (एम0डी0डी0ए0) | देहरादून | 224 | पूर्ण |
| 2 | आमवाला तरला आवासीय परियोजना (पी0एम0ए0वाई) (एम0डी0डी0ए0) | देहरादून | 240 | पूर्ण |
| 3 | धौलास आवासीय परियोजना (पी0एम0ए0वाई) (एम0डी0डी0ए0) | देहरादून | 240 | <ul style="list-style-type: none"> ई0डब्ल्यू0एस0 की 15 ब्लॉक की राफ्ट निर्माण व फाउन्डेशन कार्य पूर्ण। 01 ब्लॉक में 16 भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण। ई0सी0 की कार्यवाही गतिमान। |
| 4 | पी0पी0पी0 मोड निजी निर्माणकर्ता उत्तरा, (एम0डी0डी0ए0) | देहरादून | 868 | <ul style="list-style-type: none"> निजी-निर्माणकर्ता द्वारा 868 से 896 यूनिट बढ़ाये जाने का प्रस्ताव दिया गया है। निजी-निर्माणकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने हेतु सूचित किया गया है। |

| | | | | |
|----|--|-------------|------|---|
| 5 | इन्द्रलोक आवासीय योजना (एच0आर0डी0ए0) | हरिद्वार | 528 | <ul style="list-style-type: none"> मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक : 11.11.2021 को परियोजना का उद्घाटन किया गया। कार्यदायी संस्था का चयन कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। |
| 6 | रुद्रपुर आवासीय योजना (डी0एल0डी0ए0, यू0एस0नगर) | उधमसिंह नगर | 1872 | <ul style="list-style-type: none"> भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक दिनांक : 16.11.2021 में रखा जाना प्रस्तावित है। प्राधिकरण को भूमि हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही गतिमान। |
| 7 | मंगलोर आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | हरिद्वार | 544 | <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में अभिमत हेतु प्रस्ताव मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को प्रेषित। |
| 8 | मानपुर-काशीपुर आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | उधमसिंह नगर | 512 | <ul style="list-style-type: none"> प्राधिकरण द्वारा परियोजना हेतु पहुंच मार्ग 7.30 मी0 होने के फलस्वरूप शिथिलता हेतु कार्यवाही गतिमान है। |
| 9 | कनकपुर-काशीपुर आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | उधमसिंह नगर | 1256 | <ul style="list-style-type: none"> धारा 28 की कार्यवाही पूर्ण। धारा 32 एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान। |
| 10 | बांडिया-किच्छा आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | उधमसिंह नगर | 984 | <ul style="list-style-type: none"> रेलवे विभाग से एन0ओ0सी0 प्राप्त। प्राधिकरण द्वारा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से अभिमत प्रदान किये जाने हेतु पत्र प्रेषित। |
| 11 | भिगवाड़ा-रुद्रपुर आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | उधमसिंह नगर | 1144 | <ul style="list-style-type: none"> धारा 28 की कार्यवाही पूर्ण। धारा 32 एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान। |
| 12 | उकरोली-सितारगंज, आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | उधमसिंह नगर | 1168 | <ul style="list-style-type: none"> धारा 28 की कार्यवाही पूर्ण। धारा 32 एवं त्रिपक्षीय अनुबन्ध की कार्यवाही गतिमान। |
| 13 | देवीपुरा-बनबसा-टनकपुर आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | चम्पावत | 1376 | <ul style="list-style-type: none"> परियोजना स्थल की भूमि एन0एच0 ए0आई0 द्वारा अधिसूचित की गयी है। |
| 14 | पदमपुर-रैकुनी-चौरगलिया हल्द्वानी आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | नैनीताल | 1320 | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय विरोध के कारण परियोजना पर पुनः विचार किया जा रहा है। |
| 15 | हरिसिंहपुर-चौरगलिया हल्द्वानी आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | नैनीताल | 904 | <ul style="list-style-type: none"> स्थानीय विरोध के कारण परियोजना पर पुनः विचार किया जा रहा है। |
| 16 | ज्वालापुर-रूडकी आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | हरिद्वार | 512 | <ul style="list-style-type: none"> धारा 28 की कार्यवाही गतिमान। |
| 17 | अनेकी हेतमपुर, आवासीय योजना पी0पी0पी0 मोड (आवास एवं विकास परिषद) | हरिद्वार | 1152 | <ul style="list-style-type: none"> भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रस्ताव हरिद्वार-रूडकी विकास प्राधिकरण को प्रेषित। |

निर्णय


सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये:-

- क्रमांक संख्या-04 पर अंकित पी0पी0पी0 मोड निजी निर्माणकर्ता उत्तरा योजना में यदि निजी निर्माणकर्ता द्वारा रुचि नहीं दिखाई जा रही है, तो योजना निरस्त कर सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जाये। इस सम्बन्ध में एम0डी0डी0ए0 से वस्तुस्थिति स्पष्ट करा ली जाये।
- क्रमांक संख्या-06 पर अंकित रुद्रपुर आवासीय योजना की समस्त कार्यवाही पूर्ण करते हुए माह दिसम्बर, 2021 तक शिलान्यास सुनिश्चित किया जाये।
- क्रमांक संख्या-13 पर अंकित पी0पी0पी0 मोड देवीपुरा-बनबसा-टनकपुर आवासीय योजना में परियोजना स्थल की भूमि एन0एच0ए0आई0 द्वारा अधिसूचित की गयी है, जिसके दृष्टिगत उक्त परियोजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी से आख्या प्राप्त कर तदनुसार परियोजना को निरस्त कर सूचना भारत सरकार को प्रेषित की जाये।

अन्य बिन्दु मा0 अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार

1. मा0 अध्यक्ष द्वारा जनपद नैनीताल में स्थित रामनगर की पुरानी तहसील में प्रस्तावित पार्किंग के निर्माण की प्रगति बताये जाने की अपेक्षा की गयी, जिस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में उक्त परियोजना हेतु कार्यदायी संस्था का चयन किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के माध्यम से स्वीकृत करा कर शासन को प्रेषित किया गया है तथा परियोजना हेतु धनराशि का प्रस्ताव Special Assistance Scheme (S.A.S.) के माध्यम से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। भारत सरकार से धनराशि स्वीकृत होते ही योजना हेतु धनराशि निर्गत कर दी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था का चयन किये जाने के सम्बन्ध में निर्णय से जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल को अवगत करा दिया जायेगा।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त निर्णय लिया जाता है कि मार्ग की चौड़ाई के सम्बन्ध में महायोजना में प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई तथा स्थल पर विद्यमान मार्ग चौड़ाई के सम्बन्ध में वर्तमान परिस्थिति व भविष्य की अपेक्षाओं के दृष्टिगत, मार्ग की चौड़ाई के निर्धारण हेतु कौन-कौन से मानक लागू किये जायें, के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति निर्धारित की जाय।

अन्त में सचिव द्वारा मा0 अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों तथा अधिकारीगण का आभार व्यक्त करते हुए, मा0 अध्यक्ष की अनुमति से बैठक का समापन किया गया।


(शैलेश बगौली)
मुख्य प्रशासक

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,

राजीव गाँधी बहुदेशीय कॉम्प्लेक्स, चतुर्थ तल, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून


Email id- uhudauk@gmail.com

Phone No. 0135-2719500

पत्रांक:- ११७ / उडा-24(4) / बोर्ड बैठक / 2020-21, दिनांक : 26, नवम्बर, 2021।

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही/अवलोकनार्थ हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास विभाग, उत्तराखण्ड/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण को मा0 आवास मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
10. अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
11. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, देहरादून।
12. वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
13. बैठक में उपस्थित मा0 सदस्य एवं अधिकारीगण।
14. गार्ड फाइल।


(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
संयुक्त मुख्य प्रशासक